भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

अतारांकित प्रश्ने सं. **138** जिसका उत्त्र

सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्री यकंटेनर टर्मिनल पर तटीय व्याअपार रियायत

138. श्री के. एन. बालगोपाल :

क्या् **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याट सरकार वल्लातरपदम इंटरनेशलन कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पर तटीय व्या पार हेतु रियायत प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संलबंधी ब्यौटरा क्या्म है

(ग) क्याय सरकार को इस बात की जानकारी है कि 19 सितंबर , 2015 को समाप्त की गई तटीय व्याकपार रियायत के कारण पत्तइन अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहा है; और

(घ) यदि हां , तो तत्सं बंधी ब्यौ रा क्या है

उत्त र

पोत परिवहन राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्ण्न्)

(क) और (ख) : भारत सरकार इस देश में सभी पत्त्नों को लाभ देने के लिए एक समान नीति पर प्रत्ये.क पत्त:न के लिए टुकड़ों में रियायत के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष पर विचार-विमर्श कर रही है।

(ग) और (घ) : पत्ततन के लिए ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जो उसे पूरी क्षमता के दोहन के योग्यि बना रही है, जैसे सीमा शुल्को प्रक्रियाओं का सरलीकरण, प्रतिस्प र्धी प्रशुल्क,ई संचालन की दक्षता, तटीय व्या्पार रियायत आदि। 2015-16 के प्रथम छ: महीनों में कोचीन पत्तलन में आईसीटीटी वरलारपद्दम में प्रति माह औसतन 33.5 हजार टीईयू की संभलाई की जो बताता है कि तटीय व्या पार रियायत की कमी ने उनके कंटेनर कार्गो को प्रभावित नहीं किया है।

*****